# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**अपील संख्या : 2022 / 190**

रमेश उम्र 42 वर्ष आत्मज मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

**बनाम**

1. मदन उम्र 52 वर्ष आत्मज रामा जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. कजोड उम्र 76 वर्ष आत्मज रामा जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. गजानन्द उम्र 30 वर्ष आत्मज रामकुवार जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. गिरधारी उम्र 30 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. प्रेमशंकर उम्र 28 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. फून्दी बाई उम्र 80 वर्ष पत्नी रामकुवार जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. बजरंगी बाई उम्र 40 वर्ष पुत्री रामकुवार जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. मथरा बाई उम्र 65 वर्ष पत्नी स्व0 भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. मिश्री बाई उम्र 65 वर्ष पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया हाल पत्नी श्री गोपाल निवासी डोडी ग्राम पंचायत डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. मिश्रीलाल उम्र 62 वर्ष आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. मोहन उम्र 58 वर्ष आत्मज रामा जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. शान्ति उंम्र 65 वर्ष पत्नी सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. शोजी लाल उम्र 60 वर्ष आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. संतरा उम्र 38 वर्ष पुत्री रामकुवार जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया हाल पत्नी श्री नरमोहन निवासी डोडी ग्राम पंचायत डोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

15. सन्जू बाई उर्फ मन्जू बाई उम्र 35 वर्ष पुत्री भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया हाल पत्नी श्री जितेन्द्र निवासी पाई ग्राम पंचायत फुलेता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. सुरतान उम्र 70 वर्ष आत्मज भागोता जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
17. सोकरण उम्र 75 वर्ष आत्मज बरधा जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. सोहन उम्र 65 वर्ष आत्मज भागोता जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
19. हंसराज उम्र 28 वर्ष आत्मज रामकुवार जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
20. घांसी लाल उम्र 38 वर्ष आत्मज फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
21. पन्सूरी बाई उम्र 57 वर्ष पुत्री फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया हाल पत्नी श्री सुवालाल निवासी गुढा गोपालजी ग्राम पंचायत जैतपुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
22. प्रकश उम्र 35 वर्ष आत्मज फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
23. भूरी बाई उम्र 80 वर्ष पत्नी फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
24. मनभर उम्र 54 वर्ष पुत्री फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया हाल पत्नी श्री गोपाल निवासी भजनेरी ग्राम पंचायत भजनेरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
25. रामदयाल उम्र 52 वर्ष आत्मज रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
26. रामराय उम्र 30 वर्ष आत्मज फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
27. रामसहाय उम्र 32 वर्ष आत्मज फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
28. सयाणी उम्र 60 वर्ष पुत्री फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया हाल पत्नी श्री हेमराज निवासी गुढा गोपाल जी ग्राम पंचायत जैतपुर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
29. पुष्पा बाई उम्र 40 वर्ष पत्नी शोजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
30. रामफूल आत्मज देवकरण जाति मीणा निवासी ग्राम कालामाल ग्राम पंचायत गुढासदावर्तिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
31. रमेश आत्मज देवकरण जाति मीणा निवासी ग्राम कालामाल ग्राम पंचायत गुढासदावर्तिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
32. धन्ना लाल आत्मज देवकरण जाति मीणा निवासी ग्राम कालामाल ग्राम पंचायत गुढासदावर्तिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
33. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय शाखा देई आत्मज नेनवा जिला बून्दी ।
34. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

35. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक: 20.10.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 27.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी में खात संख्या 120 की भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.6310 हैक्टर एवं खाता संख्या 121 में खसरा नम्बर 246 रकबा 1.0679 हैक्टर एवं खाता संख्या 122 की खसरा नम्बर 23 रकबा 1.2054 हैक्टर, खाता संख्या 123 में खसरा नम्बर 21 रकबा 0.9708 हैक्टर, खसरा नम्बर 35 रकबा 1.3672 हैक्टर कुल 02 किता रकबा 2.3380 हैक्टर तथा खाता संख्या 124 की खसरा नम्बर 147 रकबा 2.2976 हैक्टर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.0162 हैक्टर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.0566 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.0485 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.0728 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0. 0890 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.8090 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.5501 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.2508 हैक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.8737 हैक्टर कुल 10 किता की कुल रकबा 5.0643 हैक्टर, खाता संख्या 125 की खसरा नम्बर 106 रकबा 0.6715 हैक्टर, खाता संख्या 126 की खसरा नम्बर 260 रकबा 0.8899 हैक्टर भूमि स्थित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 7 में वर्णित भूमियों प्रार्थी व अप्रार्थीगण कम 2 लगायत 32 के सम्मिलित खातेदारी व आधिपत्य की भूमियों हैं जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थी के पिता रामा आत्मज चन्द्रा सहखातेदार कृषक थे जिनका हिस्सा 1/6 था उनकी मृतयु पर जो इंतकाल खुला उसमें प्रार्थी के नाम का इंतकाल नहीं खोलकर रामा के अन्य वारिसों कजोड, मोहन के नाम ही इंतकाल खुला लिया । जबकि प्रार्थी का कहिस्सा 1/12 था जो प्रार्थी के नाम होना चाहिए । अप्रार्थी कम 01 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थी कम 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाये कि अप्रार्थी कम 01

बलपूर्वक प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करे । भूमि को नष्ट–भ्रष्ट नहीं करे एंव प्रार्थी के हक एवं आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी क्रम 01 ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, स्वयं कब्जा नहीं करे, भूमि को नष्ट–भ्रष्ट नहीं करे तथा प्रार्थी के हक एवं आधिपत्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी क्रम 01 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 27.05.2022 के द्वारा अप्रार्थी क्रम 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया और आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.06.2022 नियत कर दी ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.05.2022 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अंतरिम आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 मदन द्वारा जिस दिन वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया उस दिन बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश दिया है । तलबी हेतु दिनांक 29.06.2022 आगामी तारीख पेशी नियत की गई थी परन्तु परीक्षण न्यायालय में पेशी नोटिस बोर्ड पर दिनांक 11.10.2022 बदल दी गई । परीक्षण न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है । उक्त वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 27.05.2022 को अंतरिम आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 01 अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया और प्रस्तुत प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.06.2022 नियत कर दी। चूँकि परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.05.2022 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है और उसमें दिनांक 29.06.2022 की आगामी तारीख नियत की गई है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 3 (ए) सीपीसी की पालना नहीं की गई है । तद्नुसार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरडी 2014 पेज 345 के मध्यनजर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.05.2022 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.11.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों । अप्रार्थी संख्या 01 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट प्रार्थी परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने तक वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

11. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा